दावा 49/2025 (2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सांगरिया .... जमाबंदी सं. 2071-2074 के खाता सं 545 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपिकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
			सांवरलाल पुत्र मगन	सांवरलाल पुत्र मगन
		545	बलाई	मेहर
		2071-75	मा० देह	मा० देह

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण — हस्ताक्षर

1. सांवरलाल पुत्र मगन मेहर — सांवरलाल
2. ....
3. ....
4. ....

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सांगरिया के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

18/3/25
हस्ताक्षर पटवारी
प0ह0 सांगरिया

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। [illegible] रिकार्ड [illegible] पूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

20/03/25
भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अ0नि0वृत टाकलाखेड़ी

Scanned with OKEN Scanner

(3)

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक राजस्व/2025/453

दिनांक 21.3.25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सांगरिया के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार
सुनेल (झालावाड़) राज

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/49

दिनांक 24/03/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम सांगरिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम स. 5 अनुसार दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम स. 5 अनुसार इन्द्राज दुरूस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा
जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner